[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 29th September, 2016]

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 सितम्बर, 2016

संख्या.पी.ओ.ई–ई.ए–II–2016/5026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते है।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,–

(क) निदेशक की दशा में,– वरिष्ठ वेतनमान या इससे ऊपर के वेतनमान में किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा;

(ख) परियोजना अर्थशास्त्री की दशा में,–

(i) अनुसंधान अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानातरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या		योग	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई		
1	निदेशक	–	1	1	–
2	परियोजना अर्थशास्त्री	–	1	1	₹15600–39100+₹6000ग्रेड वेतन

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	निदेशक	–	–
2	परियोजना अर्थशास्त्री	–	पदोन्नति द्वारा– (i) अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर; (ii) अनुसंधान अधिकारी के रुप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,– (i) अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर (ii) ग्रामीण विकास प्रोग्राम तैयार करने, कार्यान्वित करने, मॉनिटरिंग करने तथा मूल्यांकन करने में अनुसंधान अधिकारी के रुप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,–

(i) क्रम संख्या 1 तथा 2 और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2
" 1	निदेशक
2	परियोजना अर्थशास्त्री"; तथा

(ii) अन्त में, विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"टिप्पण: निदेशक के पद के संबंध में, शास्तियां उनके मूल विभाग के सेवा नियमों अथवा इस पद को शास्ति करने वाले सेवा नियमों के अनुसार अधिरोपित की जाएगीं।"।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 29th September, 2016

No.POE-EA-II-2016/5026.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Rural Development Department(Group A) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Rural Development Department (Group A) Service (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substiuted, namely :-

"(1) Recruitment to the Service shall be made, -

(a) in the case of Director by transfer of any IAS officer in Senior scale or above;

(b) in the case of Project Economist, –

(i) by promotion from amongst the Research Officer ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India."

3. In the said rules, for Appendicies A and B, the following Appendicies shall be substituted, namely :-

" APPENDIX A

(see rule 3)

Serial Number	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1.	Director	-	1	1	
2.	Project Economist	-	1	1	₹15600-39100 + ₹6000 GP

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	Director	-	-
2	Project Economist	-	By promotion- (i) Post Graduate in Economics/ Statistics; (ii) 3 years experience as Research Ofiicer; By transfer or deputation – (i) Post Graduate in Economics/ Statistics Graduate; (ii) 3 years experience as Research Officer in formulation, implementation, monitoring and evaluation of rural development programmes; (iii) Hindi/Sanskrit up to Matric standard or Higher Education."

4. In the said rules, in Appendices C and D, under column 1 and 2, -

(i) for serial number 1 and 2 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"1	Director
2	Project Economist" ; and

(ii) for the existing note, the following note shall be substituted, namely:-

"Note: As regards the post of Director, the penalties shall be imposed in accordance with the service rules of the parent department or the service rules governing this post."

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department.